Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

सचिव

महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्ड के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या 13 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं की वजह से इस वार्ड की जनता को होने वालीं परेशानियों के सम्बन्ध में।

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com> Tue, Jun 3, 2025 at 4:57 PM
To: Mohan Yadav <mohanyadav919985@gmail.com>

On Tue, Jun 3, 2025 at 4:32 PM Mohan Yadav <mohanyadav919985@gmail.com> wrote:

> आदरणीय महोदय
>
> कृपया अटैचमेंट देखें
>
> मुनती देवी एवं नगर पंचायत महाराजगंज सिवान की वार्ड 13 की ग्रामीण जनता

--
State Election Commission
Bihar

Received Mail.docx
12K

2577
3.6.25

Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्ड के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या 13 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं की वजह से इस वार्ड की जनता को होने वालीं परेशानियों के सम्बन्ध में।

1 message

Mohan Yadav <mohanyadav919985@gmail.com> Tue, Jun 3, 2025 at 4:32 PM
To: "sdo.maharajganj@gmail.com" <sdo.maharajganj@gmail.com>
Cc: "dm-siwan.bih@nic.in" <dm-siwan.bih@nic.in>, comsaran-bih@nic.in, secy-bih@nic.in, "secbihar@gmail.com" <secbihar@gmail.com>

आदरणीय महोदय

कृपया अटैचमेंट देखें

मुनती देवी एवं नगर पंचायत महाराजगंज सिवान की वार्ड 13 की ग्रामीण जनता

वार्ड13.pdf
537K

नगरपालिका निर्वाचन

वार्ड गठन/परिसीमन के विरुद्ध आपत्ति की पावती

(आपत्तिकर्त्ता की प्रति)

1. जिला- सिवान
2. नगरपालिका का नाम - नगर पं० महाराजगंज
3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता - मुंती देवी ग्राम - रामापाली - वार्ड - 13 थाना - महाराजगंज, सिवान 9955002219
4. वार्ड संख्या (जिनके विरुद्ध आपत्ति की गई है) - 13
5. आपत्ति की तिथि (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) -
6. आपत्ति का समय (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) -

3/6/25
प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

मुंती देवी
आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर
3/6/25

Scanned with CamScanner

CamScanner

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,

महाराजगंज जिला- सिवान

विषय:-महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो (वार्ड) के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या 13 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओ की वजह से इस वार्ड की जनता को होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में आपत्ति ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदनपूर्वक कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के आलोक में महाराजगंज नगर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो (वार्डो) का परिसीमन करने के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को उक्त परिसीमन का प्रकाशंन किया गया है । इस परिसीमन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस कार्य में अंचल पदाधिकारी, महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज एवं उनकी टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं दिशानिर्देश का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया है ।

दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित वार्डो के परिसीमन का अवलोकन करने के पश्चात इस सम्बन्ध में मेरी विन्दुवार आपत्ति निम्नवत है :-

1. yh कि नवगठित वार्ड संख्या 16 में रेलवे लाइन के पश्चिम स्थित पुराना वार्ड संख्या 12 के लगभग 800 लोगो को शामिल कर दिया है । इस वजह से यह वार्ड लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में हो गया है । इस कारण इस वार्ड में सम्मिलित पुराने वार्ड संख्या के 800 लोगो को मत देने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति मतदान केंद्र पर जाना होगा । इस कारण अधिकॉश लोग मतदान करने नहीं जा पायेंगे । इन कर्मियो ने किस वजह आम जनता की सहूलियत को दरकिनार करते हुए इस प्रकार का गैरवाजिब परिसीमन किया है, इसकी जांच की जानी चाहिए ।
2. यह कि यदि नवगठित वार्ड 16 में मानक जनसंख्या 1530 को ही पूरा करना था तो इसके लिए पुराने वार्ड संख्या 14 के अंतिम किनारे धोबही पोखरा के टोला को शामिल करना चाहिए था क्योकि यह टोला इस वार्ड की सीमा से सटा हुआ है । इससे आम जनता को भी मतदान में सहूलियत होती ।

CamScanner

3. यह कि महाराजगंज नगर पंचायत के नवगठित परिसीमन में वार्ड संख्या- 1 से 10 तक के परिसीमन के लिए निर्धारित मानक औसत जनसंख्या 1530 से काफी कम 1100 से 1250 के आस पास जनसंख्या और शेष 07 वार्डो के लिए जनसंख्या 2000 के आसपास निर्धारित किया गया है । इस विसंगति की क्या वजह है ? इसकी जांच अपेक्षित है ।
4. यह कि वार्ड संख्या- 1 से लेकर 10 तक की कुल आभादी लगभग 12000 दर्शायी गई है के लिए 10 वार्ड और शेष लागभग 14500 की आबादी के लिए केवल 7 वार्ड का सृजन किया गया है । परिसीमन से जुड़े इन कर्मियों का यह कार्य उनके द्वारा शेष 14500 की आबादी के साथ हुए किये गये नाइंसाफी और अन्याय को दर्शाता है । ऐसा करने की क्या वजह है ?
5. यह कि परिसीमन से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों यथा अंचल पदाधिकारी महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज एवं उनकी टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के कंडिका 4 में वर्णित दिशानिर्देश कि यथासंभव औसत जनसख्या 1530 के निकट रखकर सीमांकन रखा जाएगा का अनुपालन किन वजहों से नहीं किया है ?

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ऊपर वर्णित मेरी आपतियो की निष्पक्ष जांच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के कंडिका 4 में दिए गये दिशानिदेश/मार्गदर्शिका और आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए करने की कृपा की जाय । इसके लिए मै श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

मुन्नी देवी

वार्ड पार्षद
वार्ड नं०-13, नगर पंचायत
महाराजगंज (सिवान)

उमेश यादव
अमेरिका यादव
Lallan Yadav
दिग्पाल राय
मोहन मांझी
मोती मांझी

प्रतिलिपि :

1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन) -सह- जिला पदाधिकारी सिवान बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
2. प्रमंडलीय आयुक्त सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
3. निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवंश्यक कारवाई हेतु प्रेषित
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

CS CamScanner